न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—143/2017/223 (2017/00143)

1. बिशनलाल पुत्र हीरा, जाति जाट, निवासी जाटों का मोहल्ला, सांवतसर, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र हीरा, जाति जाट, निवासी जाटों का मोहल्ला, सांवतसर, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. किशन पुत्र हीरा, जाति जाट, निवासी जाटों का मोहल्ला, सांवतसर, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. किशनी पुत्री हीरा, जाति जाट, नि0 जाटों का मोहल्ला, सांवतसर, तह0 किानगढ़, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 12.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 41/2012.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः—18.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद ग्राम काकनियावास तहसील किशनगढ़ के वादग्रस्त खसरा नंबर 312, 313, 314 कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा पर खातेदारी अधिकार उसके पिता हीरा द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.12.1998 के आधार पर प्रस्तुत किया । उक्त वाद में वादी ने कथन किया कि विवादित आराजियात उसके पिता हीरा की एकमात्र स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमियां थी और उन्हें उक्त स्वअर्जित भूमि का अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियों की एक वसीयत दिनांक 21.12.1998 को अपीलांट के पक्ष में गवाहान की उपस्थिति में स्वेच्छापूर्वक निष्पादित की थी । वसीयत हीरा के दिनांक 6.1.1999 को देहावसान के उपरांत प्रभाव में आ गई है तथा धारा 75 भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान अनुसार अपीलांट को उक्त भूमियों पर कानूनन अधिकार प्राप्त हो गये है । अपीलांट ने

रेस्पो0 संख्या 4 के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण उसके पक्ष में स्वीकृत करने बाबत् दिनांक 20.10.2011 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दिनांक 21.2.2012 को अस्वीकार कर दिया इस कारण अपीलांट को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्ण्य व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद कैम्प कोर्ट बुहारू में खारिज किया है जबकि विधि के प्रावधान के अनुसार अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के वाद में चाहे गये अनुतोष का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया ओर अपीलांट का वाद राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) को आधार बनाकर वाद निरस्त कर दिया जो स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 21.2.2012 से व्यथित होकर वसीयत दिनांक 21.12.1998 के आधार पर प्राप्त विधिक अधिकारों के अंतर्गत ही धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुरूप खातेदारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.2.2012 के आदेश के बाद वादकारण उत्पन्न होने से अपीलाधीन वाद अधी0न्याया0 में पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के आधार पर गलत रूप से खारिज कर दिया है । अपीलाधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 25.7.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था इसलिये अधी0न्याया0 को विधिनुसार उभयपक्ष के अभिवचनों व अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध करके अपीलांट के वाद का गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने का उल्लेख करने मात्र से अधी0न्याया0 ने उसी को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादग्रस्त भूमि बाबत् संवत् 2010 से 2019 सेटलमेंट जमाबंदी तथा 2041 की वर्किग जमाबंदी की प्रमाणित नकल पेश की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/वादी के पिता स्व0 हीरा के नाम वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा सेटलमेंट जमाबंदी में अंकित है शेष 1/2 हिस्सा ज्वारा वल्द श्योराम के नाम अंकित है । वर्किग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार ज्वारा वल्द श्योराम का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट वादी के पिता हीरा को प्राप्त हो गया । इस प्रकार संपूर्ण कृषि आराजी अपीलांट की स्वअर्जित सम्पति हो गई । अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छापूर्वक अपनी स्वअर्जित सम्पति की वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 21.12.1998 को निष्पादित की जो वसीयत हीरा के देहांत पर प्रभाव में आ गई थी और वादी को धारा 75 भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान अनुसार प्रश्नगत आराजी में सभी हक व अधिकार निहित हो गये थे । उसी आधार पर ही वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 88 के

तहत वाद प्रस्तुत किया जो विधि अनुसार पोषणीय था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विधिनुसार न्यायालय को वाद खारिज करने के उपरांत निर्णय के साथ डिक्री का संधारण आदेश 20 जा0दी0 के अंतर्गत करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 12.5.2016 को वाद खारिज करने के उपरांत डिक्री का संधारण नहीं किया गया है जो कि आज्ञापक है । इस परिपेक्ष्य में भी अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधी0न्याया0 के कैम्प कोर्ट बुहारू के निर्णय की कोई जानकारी नही थी इस कारण समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी । अपीलांट अधिवक्ता दिनांक 2.6.2017 को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ में अन्य प्रकरण में उपस्थित हुए और अधिवक्ता ने अपीलाधीन वाद के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उन्हें न्यायालय के लिपिक ने अवगत कराया कि अपीलाधीन वाद दिनांक 12.5.2016 को कैम्प कोर्ट में खारिज हो चुका है । इस जानकारी के उपरांत अधिवक्ता ने अविलंब अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 2.6.2017 को आवेदन किया तथा दिनांक 7.6.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिसमें अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिता हीरा को हक व अधिकार प्राप्त हुए थे । अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिता हीरा के स्वर्गवास के उपरांत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को विवादित आराजियात विरासत में प्राप्त हुई है तथा विवादित भूमियां संयुक्त स्वामित्व व कब्जे की है । विवादित आराजियात पूर्व में हीरा पुत्र छीतर का 1/2 हिस्सा तथा ज्वारा वल्द श्योराम जाट का 1/2 हिस्सा था । ज्वारा के फौत होने पर विरासत में ज्वारा का हिस्सा स्व0 हीरा को प्राप्त हुआ था । इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पैतृक होकर विरासत में प्राप्त स्व0 हीरालाल के कब्जे, स्वामित्व व खातेदारी की भूमि थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार हीरा को नहीं था तथा न ही स्व0 हीरा द्वारा अपने जीवनकाल में किसी तरह की कोई वसीयत निष्पादित की गई थी । यह भी कथन किया कि तथाकथित वसीयत के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने वसीयत के अनुसार कोई सम्पति प्राप्त नहीं की है । तथाकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है । वसीयत के दिन स्व0 हीरा वसीयत करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वे बीमार चल रहे थे । बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.2.2012 विधि द्वारा प्राप्त न्यायिक शक्तियों के तहत भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 135 (2) के तहत दिया गया है जिसे वाद के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में

अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ग्राम कांकनियावास, तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 312 रकबा 06 बिस्वा, 313 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 314 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा बाबत् इन कथनों के साथ पेश किया कि विवादित आराजियात वादी के पिता स्व0 हीरा पुत्र छीतर के वैध स्वामित्व व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमियां है जिसमें जमाबंदी संवत् 2010 से 2012 में 1/2 हिस्सा वादी के पिता हीरा व 1/2 हिस्सा ज्वारा वल्द श्योराम जाट का था । कालांतर में हीरा ने ज्वारा जाट का 1/2 हिस्सा भी अर्जित कर लिया । इस प्रकार संपूर्ण भूमि के एकमात्र स्वामी आधिपत्यधारी खातेदारी वादी के स्व0 हीरा हो गये थे । स्व0 हीरा ने अपनी मृत्यु दिनांक 6.1.1999 के पूर्व दिनांक 21.12.1998 को एक वसीयत अपनी चल अचल सम्पति के संबंध में समक्ष गवाहों के निष्पादित की थी जिसके अनुसार स्व0 हीरा ने अपनी अन्य संतानों को नकद राशि, जेवर, सोना, चांदी, मकान आदि दिये तथा वाद वर्णित भूमिया वादी/अपीलांट को दी है । वादी/अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत् भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादी/अपीलांट के नाम अंकन करने का निवेदन किया । नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ ने प्रकरण अंर्तत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर आदेश दिनांक 2.2.2012 द्वारा विवादित आराजियात में हीरा वल्द छीतर के स्थान पर बिशनलाल पुत्र हीरा 1/2 हिस्सास, कालू, किशन, बिशनलाल पि0 हीरा, किशनी पुत्री हीरा 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किये जाने के आदेश पारित किये । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 2.2.2012 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष अपील पेश न कर धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वसीयत के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्य 1 व 2 द्वारा जवाबदावा भी पेश किया जा चुका था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 12.5.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादग्रस्त विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से वसीयतकर्ता को वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं है । इस संबंध में न्यायालय तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 2.2.2012 को राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 135 (2) के तहत निर्णय पारित किया गया है । इसलिये प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) की अपील से संबंधित है । अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 2.2.2012 के विरूद्ध अपील पेश न कर वसीयत के आधार पर धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत खातेदार उद्घोषणा का वाद पेश किया है तथा खातेदारी उद्घोषणा का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते तत्पश्चात् उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करते, किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) मानकर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नायब तहसीलदार,

रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.2.2012 को चुनौती नहीं दी गई थी बल्कि वाद के माध्यम से खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.5.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर